न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 117/2024 G.C.M.S. No. 2024/669 निर्णय दिनांक : 09.11.2024

अपीलार्थिगण:

1. अनोपा उर्फ अनोपराम के कायम मुकाम:–
   1/1 धुली पत्नि स्व. अनोपराम, उम्र वयस्क
   1/2 मोटाराम पुत्र अनोपराम, उम्र वयस्क
   1/3 मोहनलाल पुत्र अनोपराम, उम्र वयस्क
   1/4 चंदा पुत्री अनोपराम, उम्र वयस्क
   1/5 सीता पुत्री अनोपराम, उम्र वयस्क
   1/6 मंजू पुत्री अनोपराम, उम्र वयस्क, जातिगण बावरी, निवासीगण प्रतापगढ़, सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नेनाराम पुत्र चिमनाराम, उम्र वयस्क, जाति बावरी, निवासी प्रतापगढ़, सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. गणेश पुत्र अनोपराम, उम्र वयस्क
3. पुरण पुत्र अनोपराम, उम्र वयस्क
4. रमेश पुत्र अनोपराम, उम्र वयस्क
5. शारदा पुत्री अनोपराम, उम्र वयस्क
6. सुगनो पुत्री अनोपराम, उम्र वयस्क
7. इन्द्रा पुत्री अनोपराम, उम्र वयस्क, जातिगण बावरी, निवासीगण प्रतापगढ़, सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2023 बअनवान धुली वगैरह बनाम नैनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 01.10.2024

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2023 बअनवान धुली वगैरह बनाम नैनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 01.10.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 7 के पिता जी अनोपराम के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सादड़ी पटवार हल्का सादड़ी तहसील देसूरी के वर्तमान खसरा नम्बर 3011 रकबा 0.9800 हैक्टयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 911 कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 यानि अपीलाण्ट्स के पिता अनोप जी के खातेदारी की हैं। उक्त खातेदारी को दिनांक 13.1.1988 को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद किया था एवं म्युटेशन भरवाने के लिए रजिस्ट्री की नकल पटवारी को दे दी थीं। लेकिन पटवारी ने वादी के नाम म्युटेशन दर्ज नही किया जिस कारण से रेकर्ड में प्रतिवादी का नाम ही दर्ज चला आ रहा है इसलिए वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार घोषित करने हेतु पेश किया जो राजस्व वाद संख्या 61/2019 बअनवान नेनाराम बनाम अनोपाराम वगैरह पर दर्ज रजिस्टर कर विधि एवं नियमानुसार अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 7 के पिता अनोपराम को जरिये सम्मन तलब किया गया अपीलाण्ट के पिता अनोपराम की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया अपीलाण्ट के पिता अनोपराम कैंसर रोग से पीड़ित थें। जिनका सन् 2018 से इलाज चल रहा था व इलाज के लिए जयपुर व उदयपुर अस्पताल में व्यस्त रहते थे इस कारण से अपीलाण्ट के पिता अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाये तब अधिवक्ता ने अपीलाण्ट के पिता की ओर से न्यायालय में नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया तब अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के पिता अनोपराम को वाद में वर्णित पत्ते पर नोटिस जारी किया उस समय अपीलाण्ट के पिता अनोपराम उदयपुर कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे और वहां पर उनका इलाज चल रहा था वे वाद में वर्णित पत्ते पर नहीं थें। फिर भी रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ने मिलावट कर नोटिस पर लेने से इंकार की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर न्यायालय में भिजवाया उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के पिता के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर वाद में एकपक्षीय सुनवाई कर अपीलाण्ट के पिता को साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना, प्रोपर नोटिस तामील करवाए बिना दिनांक 6.4.2022 को अपीलाण्ट के पिता के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय व डिकी पारित कर दी हैं जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलाण्ट के पिता ने कभी भी वादग्रस्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट्स संख्या 1 को बेचाण नही की वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलाण्ट्स के पिता व अपीलाण्ट्स का लगातार आज दिन तक कब्जा काश्त हैं उपरोक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिता के खातेदारी व कब्जा काश्त की हैं। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 तथाकथित बेचाण 1988 का बता रहा हैं एवं दावा 2019 में पेश किया हैं यानि 31 वर्ष बाद दावा पेश किया है। इससे स्पष्ट हैं कि अपीलाण्ट्स के पिता ने कभी भी कृषि भूमि बेचाण नहीं की थीं। क्योंकि किसी भी खरीददार को 31 वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

तक खातेदारी खरीददार के नाम हैं या नहीं की जानकारी नहीं हों, यह संभव नहीं हैं। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ने अपीलाण्ट के पिता अनोप जी के कैंसर बीमारी से पीड़ित होने का फायदा उठाकर गलत व झूठे तथ्यों एवं मिथ्या दस्तावेज के आधार पर वाद पेश किया एवं गलत तरीके से तामील करवाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की, जो अपास्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवरण एवं विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात व खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2022 को एकपक्षीय निर्णित व डिक्री किया गया। उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाने के लिए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.10.2024 द्वारा अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि वादी द्वारा पंजीकृत विलेख दिनांक 13.01.1988 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया। अपीलांट के पिता अनोपाराम की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया। अपीलांट के पिता प्रतिवादी अनोपराम कैंसर रोग से पीड़ित थें। जिनका वर्ष 2018 से जयपुर व उदयपुर में उपचार चल रहा था। इस कारण अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर पाए तथा इस कारण अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में नो-इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया। न्यायालय द्वारा भेजे गए सम्मन के समय अपीलांट के पिता अनोपराम उदयपुर कैंसर अस्पताल में ईलाज के लिए भर्ती थें तथा वाद में वर्णित पते पर निवासरत नहीं थें। नोटिस पर झूठी लेने से इंकार की रिपोर्ट भेजी गई। जिसके आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए बिना वादपत्र दिनांक 06.04.2022 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री किया गया। जिसे अपास्त करवाने के लिए अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी

अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे भी अपीलांट की तामील को गलत रूप से समुचित मानते हुए गलत रूप से खारिज कर दिया गया। जो काबिल अपास्त है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपीलांट के पिता जून 2018 से कैंसर उपचार के लिए जी.बी.एच. मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, उदयपुर में ईलाजरत रहे हैं तथा कैंसर जांच व निदान के लिए नियमित रूप से उदयपुर, अहमदाबाद व जयपुर में प्रवास पर रहे हैं तथा प्रतिवादी अनोपराम की दिनांक 09.05.2022 को मृत्यु हो गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अनोपराम के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 31.03.2021 को नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड किया गया। अतः स्पष्ट है कि कैंसर रोग के कारण अपीलांट के पिता प्रतिवादी अनोपराम अपने अधिवक्ता के नियमित संपर्क में नहीं रहें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता को पुनः रजिस्टर्ड डाक से सम्मन प्रेषित किए गए। जिसे लेने से इंकार के आधार पर सम्मन की तामील मानते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। सम्मन पुनः वादपत्र में अंकित पते पर ही प्रेषित किए गए तथा किसके द्वारा लेने से इंकार किया गया। इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में कोई अंकन नहीं किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अदालत में नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड करने के पश्चात प्रतिवादी को पुनः समुचित तामील नहीं हुई तथा प्रतिवादी कैंसर रोगग्रस्त होने तथा निरंतर उपचाररत होने तथा उक्त रोग से दिनांक 09.05.2022 को मृत्यु हो जाने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी विहित तिथि पर अधीनस्थ न्यायालय में उपसंजात होने के लिए युक्तियुक्त कारणों से असफल रहा। उक्त अनुपसंजाति अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता के कारण नहीं होकर असाध्य रोग एवं उपचाररत होने से रही हैं। ऐसी स्थिति में पक्षकार के साथ कठोर, प्रक्रियात्मक रूख अख्तियार नहीं किया जाकर उदार रूख अपनाया जाना आवश्यक है तथा प्रकरण कठोर, तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनन भूल की हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सपठित धारा 151 सीपीसी सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण विचारणार्थ पुनः ग्रहण करने के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2023 बअनवान धुली वगैरह बनाम नैनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 01.10.2024 को अपास्त करते अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी सारवान होने से स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 61/2019 बअनवान नैनाराम बनाम अनोपाराम में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण विचारणार्थ पुनः ग्रहण कर अधिवक्ता वादी से संशोधित शीर्षक प्राप्त कर प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूअल 1956 के आज्ञापक, प्रक्रियागत विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 05.02.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली